निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 316) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 मार्च 2016

सं० 22/नि0 सि0 (दर0)–16–05/2011/488––श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (आई0 डी0–1706), ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, रहिका के विरूद्व उक्त पदस्थापन अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कुल 40 अद्द योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त आरोप पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 423 दिनांक 07.04.11 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 857 दिनांक 01.08.12 द्वारा कतिपय आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अधिसूचना सं0 22 नि0 सि0 (दर0)–16–05/2011/927 दिनांक 15.07.14 द्वारा श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (आई0 डी0–1706) (पूर्व में निर्गत अधिसूचना में आई0 डी0–3879 के स्थान पर आई0 डी0–1706 पढ़ा जाय) को निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

(क) देय प्रोन्नति पर रोक।

(ख) एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

परन्तु वरीय लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि श्री सिंह को देय अंतिम वेतनवृद्वि दिनांक 01.07.14 को रोकना संभव नही है। श्री सिंह की सेवानिवृति 30.09.14 को हो चुकी है। अतः अगला वेतनवृद्वि देय नहीं है। अतः संबंधित दण्डादेश श्री सिंह के विरूद्व लागू नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्व पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0–22 नि0 सि0 (दर0)–16–05/2011/927 दिनांक 15.07.14 को निरस्त करने एवं श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने एवं नियम 43 (बी0) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (आई0 डी0–1706) के विरूद्व निर्गत अधिसूचना सं0–22 नि0 सि0 (दर0)–16–05/2011/927 दिनांक 15.07.14 को विभागीय अधिसूचना सं0 859 दिनांक 13.04.15 द्वारा निरस्त करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय पत्रांक 1100 दिनांक 13.05.15 द्वारा श्री सिंह से बिहार पेंशन नियमावली के नियक 43 (बी0) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। परन्तु विभाग द्वारा प्रेषित पत्र का जवाब श्री सिंह द्वारा समर्पित नहीं किया गया। विभागीय पत्रांक 1457 दिनांक 29.06.15 एवं पत्रांक 1845 दिनांक 19.08.15 द्वारा श्री सिंह को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया। परन्तु विभाग द्वारा प्रेषित दो स्मार पत्रों को श्री सिंह द्वारा प्राप्त करने से इंकार करते हुए वापस कर दिया गया। मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेख एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कुल 40 योजनाओं में कराये गये कार्यो की मापी की जॉच नहीं करने तथा कार्यो का सतत निगरानी/पर्यवेक्षण नहीं करने के फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को क्षति पहुॅचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह को निम्न दण्ड दिया जाता है:–

पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए।

उक्त दण्ड श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (आई0 डी0–1706), ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, रहिका सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

उक्त निर्णय में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 316-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in